

TO BE PUBLISHED IN PART I, SECTION 1 OF THE GAZETTE OF INDIA  
(EXTRAORDINARY)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

(COPYRIGHT DIVISION)


CORRIGENDUM

New Delhi, the 27.10.2015

Se. No. 4599 GI | 15

No. F. 16-4/2012-CRB/Leg.Unit- It is hereby ordered that in principal Notification No. 214 dated 14.08.2015, the existing para 3 shall be amended in the following manner with immediate effect :-

- 1) 3(ii) in case of non-co-operation from IPRS with the Inquiry Officer within 15 days of commencement of the enquiry, to suggest to the Central Government appropriate course of action regarding the issue of registration of IPRS;  
  
(iii) to suggest as to whether an administrator has to be appointed in IPRS during the period of enquiry;
- 2) The existing sub-para 3(iii), (iv) & (v) shall be re-numbered as 3(iv),(v) & (vi).

  
S.P. GOYAL  
JOINT SECRETARY

भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड 1 में प्रकाशनार्थ  
(असाधारण)

मनव संसाधन विकास मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग  
प्रतिलिप्याधिकार प्रभाग

त्रुटि सुधार  
नई दिल्ली, दिनांक ३०.८.२०१५

सं. एफ. १६-५/२०१२ - स्त्री. आर.डी.विएस-एफ. - अ.प. ५५९९ ग.।/१५  
एतद् दबारा यह आदेश दिया जाता है कि मुख्य अधिसूचना संख्या 214 दिनोंक 14.08.2015 में  
मौजूद पैरा 3 तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् रूप में संशोधित किया जाएः—

- 1) 3(ii) जांच आरम्भ होने के 15 दिनों के भीतर आईपीआरएस की ओर से जांच अधिकारी के साथ असहयोग करने की दशा में, आईपीआरएस के पंजीकरण के मामले में केन्द्र सरकार को समुचित कार्यवाही सुझाना;
- 
- (iii) यह भी सुझाना कि क्या जांच की अवधि के दौरान आईपीआरएस में प्रशासक की नियुक्ति की जानी है;
- 2) मौजूदा उप-पैरा 3(iii), (iv) & (v) दोबारा 3(iv), (v) & (vi) के रूप में कमांकित किए जाएँ।

६.२७ | १० | ३८  
(एस. पी. मायल)  
संयुक्त सचिव